न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी — नेहा राठी (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :— 97 / 2023

1. शंकरलाल पुत्र गोपाल
2. गणेश लाल पुत्र गोपाल दत्तक पुत्र नाथू

समस्त जाति जाट निवासी कॅवरपुरा बोबास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0।

...... वादीगण

बनाम

1. रतनलाल कलवाणिया पुत्र शंकरलाल कलवाणिया
2. विरेन्द्र कलवाणिया पुत्र शंकरलाल कलवाणिया
3. रामप्यारी देवी पत्नि शंकरलाल कलवाणिया

   समस्त जाति जाट निवासी कॅवरपुरा बोबास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0।
4. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत विभाजन एवं दुरूस्ती इन्द्राज</u>

उपस्थित :— 1. श्री हनुमान जाखड़ अधिवक्ता वादीगण
2. श्री अजय सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी

—:निर्णयः— **दिनांकः—11 / 08 / 2025**

वादीगण द्वारा वाद बाबत विभाजन एवं दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 53 आर0टी0ए0 इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण व प्रतिवादी सं01 ल03 की संयुक्त खातेदारी की आराजी खाता सं0 42 के ख0न0 30 रकबा 0.9737 है0, ख0न0 32 रकबा 1.1001 है0, कुल किता —2 कुल रकबा 2.0738 है0 है व खाता सं03 के ख0न0 28 रकबा 2.3014 है0, ख0न0 31 रकबा 1.3414 है0, ख0न0 33 रकबा 0.0253 है0, ख0न0 34 रकबा 0.6702 है0, ख0न0 35 रकबा 0.9231 है0, ख0न0 36 रकबा 0.1770 है0, ख0न0 37 रकबा 0.2529 है0, ख0न0 38 रकबा 0. 8093 है0, ख0न0 40 रकबा 0.3623 है0, ख0न0 41 रकबा 1.0622 है0, किता—10 कुल रकबा 7.1951 है0 है। व खाता सं0 के 4 के ख0न0 29 / 2 रकबा 1.9220 है0 ख0न0 39 / 4 रकबा 0.5943 है0 कुल किता—2 कुल रकबा 2.5163 है0 जो वाकै ग्राम—कॅवरपुरा पटवार हल्का बोबास भू0अभि0नि0 क्षेत्र आसलपुर तह0 जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं01 लगा0 3 के मध्य आपसी सहमति से मौखिक रूप से विभाजन हो रखा है वादीगण व प्रतिवादीगण सं01लगा03 के मध्य मौखिक

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

रूप से किये गये पारस्परिक विभाजन के अनुसार उक्त आराजियात अविभाजित है जिसका विधिक रूप से विभाजन करवाने के लिए वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0 1 लगा03 को मौके के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करवाने के लिए कहा तो वादीगण को प्रतिवादी सं01 लगा03 के द्वारा हमेशा आशवासन देते रहे कि जब भी समय मिलेगा या राजस्व केम्प गांव मे लगेगा तय करवा लेगे लेकिन आज तक वादग्रस्त भूमि का मौके के कब्जे काश्त के अनुसार विधिक रूप से विभाजन नही करवाया गया है।

वादग्रस्त आराजीयात अविभाजित है इसका प्रतिवादी सं01 लगा03 ने नाजायज फायदा उठाते हुये मनचाही जगह कब्जा करके वादी को उनके उन्नत व विकसति की गई। भूमि से वेदखल कर दिया या वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर दिया तो वादी को असहनीय हानि होगी व अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी एवं कानूनी पैचेदगीयां उत्पन्न हो जायेगी।

वादीगण का वाद बावत विभाजन आराजीयात का डिक्री फरमाया जाकर वादीगण व प्रतिवादी स01 लगा03 के मध्य वाद पत्र के मद नं02 मे वर्णित आराजीयात का मौका कब्जे काश्त के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं01 लगा03 की भूमि का विधिक रूप से विभाजन किया जाकर प्राथमिक डिक्री पारित फरमायी जाकर नक्शे कुरेजात मंगवाये जाकर मुताविक नक्शे कुरेजात अंतिम डिक्री पारित फरमायी जाकर राजस्व रिकोर्ड जमावंदी व नक्शे मे अमल दरामद करवाया जावे। वादी गणेश का नाम राजस्व रिकार्ड मे गणेश पुत्र गोपाल दत्तक पुत्र नाथू दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

प्रकरण दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जरिए रजिस्टर्ड एडी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 मय अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 द्वारा जवाव इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजियात का मौके पर विभाजन सभी खातेदारों ने आपसी सहमति से कर रखा है यदि मौके कब्जे के अनुसार रास्ता कायम करते हुए विभाजन किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 को आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली एवं उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण वाद वावत विभाजन एवं दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता होने से वादीगण का वाद दिनांक 04.12.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा वादी गणेश का नाम राजस्व रिकार्ड मे गणेश पुत्र गोपाल दत्तक पुत्र नाथू दर्ज करने का आदेश प्रदान किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.12.2024 की पालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 01.05.2025 को कुरेजात तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष कुरेजात सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा वादीगण का वाद दिनांक 01.05.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद दिनांक 01.05.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद मुताबिक कुरेजात दिनांक 01.05.2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

वाकै ग्राम कंवरपुरा

क.स	नाम खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म
1	गणेश पुत्र गोपाल दत्तक पुत्र नाथू हि0 पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हि0 पूर्ण (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा बोबास	33 34 35 36 37 38 39/4 40 41 बी/32 बी/29/2	0.0253 0.6702 0.9231 0.1770 0.2529 0.8093 0.5943 0.6323 1.0622 0.1776 0.1490	गै.मु.चाह चाही 1(0.3794) जाव 1(0.2908) चाही 1(0.4173) जाव 1(0.5058) बारानी 2 बारानी 2 चाही 1(0.3035) जाव 1(0.5058) बारानी 1 चाही 1(0.3794) जाव 1(0.2529) बारानी 1 चाही 1 बंजड 1
		किता–11	5.4732	
2	शंकरलाल पुत्र गोपाल हि0 8387/63120 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हि0 8387/63120 एस.बी.आई. बोराज, रतनलाल कलवाणिया पुत्र शंकरलाल कलवाणिया हि0 22182/63120 राहिन हि0 22182/63120 बी.ओ.बी बोबास, विरेन्द्र कलवाणिया पुत्र शंकरलाल कलवाणिया हि0 22182/63120 राहिन हि0 22182/63120 एस.बी.आई. बोराज, रामप्यारी देवी पत्नि शंकरलाल कलवाणिया हि0 10369/63120 राहिन हि0 10369/63120 बी.ओ.बी बोबास, जाति जाट सा. कंवरपुरा बोबास तहसील जोबनेर खातेदार	28 30 31 ए/32 ए/29/2	2.3014 0.9737 0.3414 0.9225 1.7730	बंजड 1 बारानी 3 बारानी 2 चाही 1 बारानी 1
		किता–5	6.3120	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात दिनांक 01.05.2025 राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 01.05.2025 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(नेहा राठी, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर